न्यायालय– अति. जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला नागौर।

पीठासीन अधिकारी : **सुरेश कुमार–प्रथम**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सिविल अपील ऑर्डर प्रकरण सं.02/2018

1– बजरंगसिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत,
2– धर्माराम पुत्र मोटाराम, जाति मेघवाल,
3– लोकेन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह, जाति राजपूत,
4– हनुमानसिंह पुत्र लिछमणसिंह, जाति राजपूत,
5– प्रतापसिंह पुत्र महावीरसिंह, जाति राजपूत,
6– प्रतापसिंह पुत्र रणजीतसिंह, जाति राजपूत,
निवासीगण बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर (समस्त बहैसियत प्रतिनिधिगण ग्राम बाठड़ी, तहसील डीडवाना)

––अपीलार्थीगण

बनाम

1– लिछमणसिंह पुत्र सोलसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दि.24–01–18, दीवानी विविध प्र.सं.63/17 बजरंगसिंह वगैरह बनाम लिछमणसिंह, द्वारा सिविल न्यायाधीश, डीडवाना पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल पारीक–आर.जे.एस.

उपस्थित :–

1–श्री विरेन्द्रसिंह, विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2–श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से।

आ दे श

दिनांक 03–04–2019

1– विद्वान् सिविल न्यायाधीश डीडवाना (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा) के द्वारा दीवानी विविध प्रकरण सं.63/2017 बजरंगसिंह वगैरह बनाम लिछमणसिंह में दिनांक 24–01–18 को

पारित आदेश जिसके द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया, जिस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

2— प्रार्थीगण के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम बाठड़ी, तहसील डीडवाना के निवासी हैं तथा ग्राम बाठड़ी के प्रतिनिधिगण हैं। ग्राम बाठड़ी के आम गुवाड़ में ठाकुर जी महाराज के मंदिर के सामने स्थित सार्वजनिक चौक प्रार्थना पत्र की चरण सं.2 में अंकित पड़ौस का स्थित है, जिस चौक को नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है। उक्त पड़ौस के सार्वजनिक चौक का उपयोग व उपभोग ग्राम बाठड़ी के ग्रामवासी द्वारा वर्षों से किया जा रहा है। उक्त चौक में ग्रामवासियों द्वारा होली, दीपावली के अवसर पर व रामलीला मंचन तथा अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में तथा गॉव के लोगों व पशुओं के उठने—बैठने, आराम करने व आने—जाने के लिये तथा सार्वजनिक रूप से भवन निर्माण हेतु सामग्री डालने बाबत किया जाता रहा है। उक्त सार्वजनिक चौक में बिजली विभाग का सार्वजनिक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है तथा उक्त चौक के उपर से अप्रार्थी के भाई व मंदिर के विधुत कनेक्शन की केबल भी गुजर रही है, जो काफी वर्षों से हैं। हाल के समय में न्यायालय के शीतकालीन अवकाश को मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थी द्वारा उक्त सार्वजनिक चौक की भूमि पर निर्माण सामग्री डलवा दी है तथा मौके पर उक्त सार्वजनिक भूमि पर नींवे खुदवाना शुरू कर दिया है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा एतराज किया गया, तो अप्रार्थी ने एक फर्जी व कूटरचित विधि विरूद्ध पट्टा का हवाला दिया, जबकि उक्त पट्टा दि.15.02.94 को सरपंच ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा जारी है। जबकि उक्त अवधि में समस्त राजस्थान की ग्राम पंचायते सरकार द्वारा भंग कर ग्राम पंचायतों का चार्ज ग्राम सेवकों को दिया गया था, जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा शुरू से ही अवैध व कूटरचित है तथा प्रार्थीगण के अधिकारों के प्रति शून्य है। अप्रार्थी उक्त जायगा में शीतकालीन न्यायालय अवकाशों के मध्य गलत रूप से निर्माण करने पर उतारू है, जिसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र की चरण सं.2 में वर्णित पड़ौस बीच की भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के हक में बना हुआ है तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण

वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण सामग्री डलवाकर निर्माण करने से उतारू होने से प्रार्थीगण को अजहद नुकसानी होगी, जिसकी भरपाई नकदी में संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की फरमावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं.2 में वर्णित पड़ौस बीच के सार्वजनिक चौक की भूमि मार्क ए.बी.सी. डी. या उक्त भूमि के किसी हिस्से में कोई निर्माण, बेदखली, विनिमय, हस्तान्तरण, विक्रय ना तो अप्रार्थी स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावे। दौराने प्रार्थना पत्र उक्त भूमि या किसी भाग पर अप्रार्थी द्वारा कोई निर्माण कर लिया जाता है, तो उक्त निर्माण को जरिये अस्थाई आज्ञापक व्यादेश से हटाया जाने का आदेश फरमावे।

3— अप्रार्थी लिछमणसिंह की ओर से जबाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम बाठड़ी के प्रतिनिधिगण नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं.2 में अंकित पड़ौस के मध्य की भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि नहीं है। अप्रार्थी ने अपने पट्टासुदा व कब्जासुदा भूमि में ही निर्माण सामग्री डलवाकर निर्माण शुरू किया था, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया है तथा कानूनन उक्त पट्टासुदा व कब्जासुदा भूमि पर निर्माण करवा रहा था। दिनांक 15.02.94 का जारी पट्टा विधिवत है। उक्त पट्टा कतई अवैध, कूटरचित व शून्य नहीं है। उक्त भूमि अप्रार्थी की कब्जासुदा व पट्टासुदा होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के हक में बना हुआ है तथा सुविधा का संतुलन व अजहद नुकसानी के बिन्दु भी अप्रार्थी के हक में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

4— तत्पश्चात् विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनकर दिनांक 24—01—2018 को आक्षेपित आदेश पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी, अस्वीकार कर खारिज कर दिया, जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील पेश की गई।

5— बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया

मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं मानकर विधि और तथ्य संबंधी भूल कारित की है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की होकर सार्वजनिक भूमि है, जिसमें पानी की खैल व नाली बनी हुई है। आम चौक में होली, दीपावली के अवसर पर रामलीला व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पशुओं के बैठने के लिये उपयोग में आती है तथा बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। इन सब के बावजूद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित फर्जी पट्टे के आधार पर अपीलार्थीगण का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा, अपास्त किया जावे।

6— विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी की यह बहस रही है कि प्रत्यर्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत बिचावा द्वारा दिनांक 15.02.94 को पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टा के आधार पर प्रत्यर्थी निर्माण कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी के स्वामित्व की मानते हुये अपीलार्थीगण का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज किया था, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जावे।

7— हमने बहस के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

8— अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर विचार किया गयाः—(1) प्रथम दृष्टया मामला, (2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूर्तनीय क्षति। उक्त बिन्दुओं के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गये साक्ष्य के विवेचन पर इस न्यायालय का निष्कर्ष बिन्दुवार इस प्रकार से हैंः—

(1) प्रथम दृष्टया मामला, (2) सुविधा का संतुलन व (3) अपूरणीय क्षतिः—

9— इन तीनों ही बिन्दुओं को सुविधा की दृष्टि से एवं पुनरावृत्ति से बचने के लिये एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में नहीं माना और कारण यह दिया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में ग्राम पंचायत बिचावा द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है तथा वादीगण ने वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत की बताई है, परन्तु ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं

बनाया। हमने विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश व पत्रावली का समग्रता से अवलोकन किया। अपीलार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि को ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि बताई है। इस बाबत अभिलेख पर वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स व कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। फोटोग्राफ्स व कमिश्नर रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि वादग्रस्त भूमि पर पशुओं को पानी पिलाने की खैल, विधुत का ट्रांसफार्मर व पानी की टंकी बनी हुई है। सम्पूर्ण भूमि खुले चौक के रूप में है, सामने मंदिर है। इन तथ्यों का कोई खण्डन जबाब–उल–जबाब के रूप में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से नहीं आया।

10– जहॉ तक प्रत्यर्थी के पक्ष में पट्टे का प्रश्न है, तो अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का यह स्पष्ट अभिवचन रहा है कि उक्त पट्टा फर्जी व कूटरचित है, क्योंकि पट्टा 15.02.94 को सरपंच ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा जारी किया गया, जबकि उक्त अवधि में समस्त राजस्थान की ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा भंग कर दी गई थी और पंचायतों का चार्ज ग्राम सेवक के पास था। इस तथ्य का भी कोई खण्डन व स्पष्टीकरण प्रथ्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से नहीं आया। पट्टे की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिसके सरसरी अवलोकन से प्रकट होता है कि इस पट्टे पर न तो पट्टा बुक के नंबर अंकित है और न ही मिसल संख्या। सरपंच ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती एक्ट 1953 की धारा 71 व 87 के तहत आवंटन की शक्तियां दी गई है, परन्तु आवंटन से पूर्व नियमों के तहत विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। आवंटी से प्रार्थना पत्र लिया जाता है, जिस पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पेश करती है, संकल्प पारित करती है। तत्पश्चात् आपत्तियां आमंत्रित की जाती है एवं तदुपरान्त भूखण्ड की जॉच कर एवं नक्शा तैयार कर आवंटन की कार्यवाही की जाती है और पट्टा बुक से पट्टा जारी करते समय पट्टे की प्रति पर पट्टा बुक के नंबर व मिसल संख्या अर्थात् पत्रावली के नंबर अंकित किये जाते हैं। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे पर न तो मिसल संख्या है और न ही पट्टा के नंबर। अभिलेख पर मिसल की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं हुई। ऐसी स्थिति में पट्टा विधिवत जारी किया गया हो, यह नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की है। क्या ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि को जरिये पट्टा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया, यह विवाधक मूल वाद में उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णीत किया जा

सकता है। मात्र पट्टे की प्रति प्रस्तुत होने के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने में विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने भूल कारित की है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामले के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष, तथ्य और विधि के अनुरूप नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है और प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित होना निर्णीत किया जाता है।

11— अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के दोनो ही बिन्दुओं पर कोई विवेचना नहीं की है और न्यायिक दृष्टान्त—काशी मठ संस्थान व अन्य बनाम श्रीपद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी व अन्य 2010 एस.सी.सी.(एस.सी.) वोल्यूम—1 पेज 791 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किये गये। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व यदि प्रथ्यर्थी/प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करते हैं या वादग्रस्त भूखण्ड का हस्तान्तरण कर देते हैं, तो अपेक्षाकृत असुविधा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को ज्यादा होगी तथा उक्त निर्माण/हस्तान्तरण पर होने वाली क्षति का मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के दोनो बिन्दु प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संदर्भ में पारित निष्कर्ष विधि और तथ्य के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

12— निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किये गये है। अतः विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य एवं अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

13— परिणामतः अपीलार्थीगण—(1) बजरंगसिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत, (2) धर्माराम पुत्र मोटाराम, जाति मेघवाल, (3) लोकेन्द्रसिंह पुत्र

शेरसिंह, जाति राजपूत, (4) हनुमानसिंह पुत्र लिछमणसिंह, जाति राजपूत, (5) प्रतापसिंह पुत्र महावीरसिंह, जाति राजपूत व (6) प्रतापसिंह पुत्र रणजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर (समस्त बहैसियत प्रतिनिधिगण ग्राम बाठड़ी, तहसील डीडवाना) की ओर से प्रत्यर्थी–लिछमणसिंह पुत्र सोलसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण सं.63/2017 बअनुवान बजरंगसिंह वगै/लिछमणसिंह में दि.24.01.2018 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा उभय पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूखण्ड पर यथास्थिति कायम रखें, कोई तोड़–फोड़, निर्माण या हस्तान्तरण न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें।

14– निर्णय/आदेश की सत्यप्रति सहित विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
अति. जिला न्यायाधीश,
डीडवाना।

15– निर्णय एवं आदेश दिनांक 03–04–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार–प्रथम)
अति. जिला न्यायाधीश,
डीडवाना।

...